ई0 पत्रावली संख्या–69005

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2025**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) नलकूप, नहर एवं लिफ्ट योजना में लघु निर्माण मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–965/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/पी–27(टी0एस0पी0), दिनांक 22.02.2024 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) नलकूप, नहर एवं लिफ्ट योजना में लघु निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुनैन के बिसला छानी में सिली खडड से माला क्यारियों तक पाईप नहर निर्माण की योजना लागत रू0 17.42 लाख (रूपये सत्रह लाख बयालीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
2. कार्य कराये जाने से पूर्व जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. प्रस्ताव में दी गई दरों पर ही उक्त कार्य को पूर्ण कराया जायेगा तथा चैकलिस्ट के बिन्दु संख्या 10, 11, 13 तथा 14 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
6. योजना से मात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही लाभान्वित होंगे। योजना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यह भलीभांति जांच कर ली जाय कि क्या पूर्व में उक्त लाभार्थियों को लाभान्वित तो नहीं किया गया है।
7. उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 का पालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाय।
8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
9. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।
10. कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को अवगत कराया जाय ताकि समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया जा सके।
11. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

12. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

13. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

16. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

17. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उक्त स्थल की Geo Tagging तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य का Third Party Audit कराया जाय।

18. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

19. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

20. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जाये, यदि उक्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक किया जाना सम्भव न हो तो उक्त धनराशि को नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

21. जो आगणन शासन को उपलब्ध कराये गये हैं, उन कार्यों को उसी दरों पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये तथा उक्त कार्यों के आगणनों को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि उक्त दरों पर गठित आगणनों पर कार्य कराया जाना सम्भव न हो तो कार्य प्रारम्भ न कराया जाय।

22. उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

23. योजना से अनुसूचित जनजाति के घर/कृषि भूमि को लाभान्वित किया जायेगा तथा लाभान्वित होने वाले लाभार्थी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की प्रति प्राप्त कर समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

24. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं एवं उक्त शासनादेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2701–80–001–04–00–52 लघु निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक– Allotment ID

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 06-03-2025 11:36:12

भवदीय,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–69005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Jai Lal Sharma
Date: 06-03-2025 14:09:48

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।